

बिहार सरकार  
खान एवं भूत्व विभाग

पत्रांक-01/लघुखनन-(स्टो०)-04/16-...../एम०, पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

FAX/E-Mail

असंगबा चुबा आओ, भा०प्र०से०  
विशेष सचिव-सह-निदेशक।

सेवा में,

सभी समाहर्ता

विषय:- विहित प्रपत्र 'एल' में अनुज्ञप्ति प्राप्ति के उपरांत ही लघु खनिजों का व्यवसाय सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

लघु खनिजों के खुदरा व्यापार के संबंध में उपर्युक्त विषयक BMMC 1972 के नियम-49 में यह प्रावधान है कि पट्टा क्षेत्र के बाहर लघु खनिजों के खुदरा व्यापार हेतु इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी सक्षम पदाधिकारी से प्रपत्र 'L' में अनुज्ञप्ति प्राप्त कर खुदरा व्यापार कर सकते हैं एवं इस हेतु इन्हें व्यापार का लेखा-जोखा विहित प्रपत्र में पंजी खोलकर संधारित करना होगा। एतद् विषयक आदेश पूर्व में विभागीय ज्ञापांक 2636 दि० 06.10.16 द्वारा आपको संसूचित है।

अतः उक्त के आलोक में कहना है कि BMMC 1972 के नियम-49 के तहत प्रपत्र 'L' में प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी लघु खनिजों का व्यापार पूर्व की भाँति कर सकते हैं।

विश्वासभाजन

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:-.....1534...../एम०, पटना, दिनांक .....20/3/18.....

प्रतिलिपि:-सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
विशेष सचिव-सह-निदेशक